<u>न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, खीरी।</u>

प्रकीर्ण फौजदारी सं0–81/2020

सी0एन0आर0नं0–यू0पी0एल0पी0–120036252020

लवलजीत कौर बनाम गुरप्रीत सिंह आदि।

धारा–12 घरेलू हिंसा अधिनियम
थाना–मैगलगंज, जिला–खीरी।

<u>18.07.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। परिवादिनी की ओर से वाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र पर सुना तथा प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

परिवादिनी लवलजीत कौर की ओर से प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में साक्ष्य प्रार्थिनी हेतु नियत है। प्रार्थिनी मुकदमें में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहती है तथा मुकदमें में कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। न्यायहित में मुकदमें की कार्यवाही को समाप्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है क्योंकि उपरोक्त मुकदमें में प्रार्थिनी व विपक्षीगण के बीच समझौता हो गया है। अतः प्रार्थिनी द्वारा मुकदमा समाप्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के परिशीलन से दर्शित है कि परिवादिनी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुकदमें की कार्यवाही समाप्त कराना चाहती है। अतः वाद की कार्यवाही जारी रखने का कोई समुचित कारण प्रतीत नहीं होता। अतः घरेलू हिंसा मु0सं0–81/2020 लवलजीत कौर बनाम गुरप्रीत सिंह आदि की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(पिंकी वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी, खीरी।
जे0ओ0कोड–यू0पी03627

Digitally signed by Pinky Verma
Date: 2026.07.27 12:45:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court